राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3434/2024

रामकुंवार जाट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, उद्यान विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शिवाजी राम कटारिया, संयुक्त निदेशक–कृषि कार्यालय संयुक्त निदेशक (उद्यान), सीकर संभाग, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.11.2024

आदेश की दिनांक : 27.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक, उद्यान, सीकर खंड, सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण खैरथल से धौलपुर किया गया था, जिसे अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 667/2024 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 के द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुये स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसमें यह अंकित किया गया कि अपीलार्थी को वही पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित करने से पूर्व कार्यरत था। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने चुनौती आदेश पारित होने से पूर्व कार्यरत स्थान पर कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी तब से निरन्तर कार्य कर रहा है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का मार्च, 2024 का वेतन भुगतान नहीं किया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया और व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को बकाया वेतन (मार्च, 2024 से नवम्बर, 2024) का वर्तमान पदस्थापन स्थान से भुगतान किया जावे, साथ ही ब्याज भी दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक, उद्यान, सीकर खंड, सीकर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को मार्च, 2024 से नवम्बर, 2024 तक का वेतन भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 22.02.2024 को अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 667/2024 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 के द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुये स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसमें यह अंकित किया गया कि अपीलार्थी को

वही पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित करने से पूर्व कार्यरत था। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने चुनौती आदेश पारित होने से पूर्व कार्यरत स्थान पर कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी तब से निरन्तर कार्य कर रहा है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को मार्च, 2024 से वेतन का भुगतान नहीं किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि जिस तिथि से कार्यग्रहण किया है और जिस तिथि तक अपनी सेवायें दी हैं, उस अवधि का वेतन का भुगतान किया जावे तथा आगामी वेतन का भुगतान वर्तमान पदस्थापन स्थान से किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथी से 15 दिवस में सुनिश्चित की जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य